



प्रेस विज्ञप्ति  
03.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने 25.11.2024 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जम्मू (नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू) की अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मोहम्मद इकबाल बकरवाल, मुद्दसर अली, अब्दुल जलील (तीनों चन्नी मानसर, जम्मू और कश्मीर के निवासी) और अख्तर मीर, परवेज मीर, इकबाल मीर (तीनों बटोटे, जम्मू और कश्मीर के निवासी) और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 25.11.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

ईडी ने जम्मू के अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपी मोहम्मद इकबाल बकरवाल, मोहम्मद अख्तर मीर, परवेज मीर, इकबाल मीर और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की, जो जम्मू के एक व्यापारी को 'त्रथगोला' नामक एक दुर्लभ और कीमती जादुई पदार्थ उपलब्ध कराने के बहाने 6.90 करोड़ रुपये की ठगी करने में शामिल थे।

ईडी की जांच में मोहम्मद इकबाल बकरवाल और उनके विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा 29 बैंक खातों के जाल के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) को परत-दर-परत जमा करने की एक जटिल प्रक्रिया का पता चला, जिसमें पीओसी की नकदी को टुकड़ों में जमा किया गया था ताकि उक्त पीओसी को वैध बैंकिंग प्रणाली में लाने के दौरान ध्यान आकर्षित न हो। कुछ विचौलियों या दलालों की पहचान की गई जिन्होंने कथित रूप से दुर्लभ और कीमती जादुई पदार्थ 'त्रथगोला' के सौदे को सुविधाजनक बनाने के लिए 1.30 करोड़ रुपये का भारी खोजकर्ता शुल्क लिया था।

इससे पहले इस मामले में ईडी ने 1.85 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों की अनंतिम कुर्की का आदेश जारी किया था, जिसमें बैंक खाते, सावधि जमा और जमीनें शामिल थीं।

आगे की जांच जारी है।